फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

[illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बर : 14/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	11/9/24	प्रसाइडिंग ऑफिसर [illegible] अवकाश पर है। अतः [illegible] हेतु दिनांक 27/9/24 को पेश हो।
	27/9/24	वकील [illegible] द्वारा [illegible] कन्वोकेशन/कार्य स्थगित [illegible] आने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 23/10/24 को पेश हो।
	23/10/24	प्रसाइडिंग ऑफिसर [illegible] अवकाश पर है। अतः [illegible] हेतु दिनांक 7/11/24 को पेश हो।
	7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने सरपंच ग्राम पंचायत खेजरोली द्वारा जारी दिनांक 10/9/2024 के प्रमाण पत्र की मूल प्रति पेश की, जिसे शामिल किया गया। वकील वादी के द्वारा की गई अंतिम बहस को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/11/2024 को पेश हो।
	8/11/24	[illegible] पत्रावली [illegible] किया [illegible] हो

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–14/2017

उनवान

जगदीश पुत्र मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा, तन खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–वादी –

बनाम

1. विमला पत्नी सुगनसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा, तन खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रामप्यारी पत्नी रामकिशोर
3. सरजू देवी पत्नी बाबूलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जोधपुरा, तन टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–14/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 84 के आराजी खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम उंटगढा, पटवार हल्का खेजरोली बी, गिरदावर सर्किल खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रेम देवी पत्नी मंगला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि को प्रेम देवी की सिविल डेथ हो जाने की उपधारणा के आधार पर वादी जगदीश पुत्र मंगला को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे।

निजी ....मबलिक ....बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख .... तक .... को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज दिनांक 08.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)
ओहदा..........

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–14/2017
उनवान– जगदीश बनाम विमला
निर्णय दिनांक– 08.11.2024

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–14/2017

उनवान

जगदीश पुत्र मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा, तन खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–वादी –

बनाम

1. विमला पत्नी सुगनसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा, तन खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. रामप्यारी पत्नी रामकिशोर
3. सरजू देवी पत्नी बाबूलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जोधपुरा, तन टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जयपुर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–08.11.2024

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी मंगला उर्फ मंगलचन्द पुत्र रामूराम जाट, निवासी ढाणी उंटगढा, तन खेजरोली वालों का जाईन्दा पुत्र है। स्व0 मंगला उर्फ मंगलचन्द के वादी जगदीश के अलावा अन्य कोई जीवित वारिस पुत्र/पुत्री नहीं है। वादी के पिता मंगला उर्फ मंगलचन्द की जीवित अवस्था मे ही जबकि वादी मात्र 1 वर्ष की आयु का अबोध नाबालिक बालक था, तभी वादी की जननी माता प्रेम देवी पत्नी मंगल उर्फ मंगलचन्द, वादी को उसके पिता के पास अकेला छोडकर वादी को मॉ के सुख से वंचित कर अचानक बिना पिता वादी या अन्य किसी को बतलाये बिना ही, कही लापता हो गयी जो आज दिवस तक वापस नहीं आई है। वादी की माता प्रेम देवी लगभाग 32 वर्षो से वादी व उसके पिता व समाज व जाति बिरादरी व कुटुम्बीय सदस्यों को छोडकर कही लापता हो गई है। गत 32 वर्षो से उसके बारे में किसी भी व्यक्ति या नातेदार, रिश्तेदार को नहीं ज्ञात कि वह जीवित थी है या नहीं। इस प्रकार वादी की माता जिसका की विगत 32 वर्षो से कोई पता नहीं है कि वह जीवित है या मर गई है, कि विधिक रुप से मृत्यु हो चुकी है। माता प्रेम देवी के 32 वर्षो से लापता हो जाने पर वादी के पिता मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द व कुटुम्बीजनों, रिश्तेदारों, नातेदारों, व स्वयं वादी ने काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वादी के पिता मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द की भी दिनांक 08.06.2000 को मृत्यु हो गयी है। भूमि हाल आराजी खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 84 के आराजी खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम उंटगढा, पटवार हल्का खेजरोली बी, गिरदावर सर्किल खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें पिता वादी मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द का 1/4 हिस्सा निहित रहा था व शेष 1/4–1/4–1/4 हिस्सा भैरु, गोपी, लक्ष्मण पिता रामू का निहित रहा था। गोपी पुत्र रामू के नाऔलाद फौत हो जाने से उसके निहित 1/4 हिस्सा रामू के शेष पुत्रों भैरु, मंगल, लक्ष्मण में निहित हो जाने से उक्त आराजीयात में पिता वादी का 1/3 हिस्सा निहित हो गया। पिता मंगलाराम उर्फ मंगलचन्द की मृत्यु वर्ष 2000 में हो जाने उपरान्त उक्त भूमि वादी जगदीश के साथ–साथ प्रेम देवी पत्नी मंगलचन्द उर्फ मंगलाराम जो कि मंगला की जीवित अवस्था में ही लापता हो गयी थी, के नाम भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत के आधार पर वादी के साथ–साथ विरासत का नामान्तकरण खोलते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रेम देवी पत्नी मंगलचन्द हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में अंकर कर दी गई। वाद हाजा में पिता मंगला से प्राप्त प्रेम देवी पत्नी मंगलचन्द उर्फ मंगलाराम हिस्सा 1/6 भूमि ही विवादग्रस्त है। प्रेम देवी पत्नी मंगलाराम जो कि विगत 32 वर्षो से लापता है उसके बारे में गांव में या समाज में या रिश्तेदारी, नातेदारी में किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सुना कि वह जीवित है। यदि वह जीवित होती तो उनके बारे में सुना जाता कि वह जीवित है और फला जगह पर रह रही है। इस प्रकार वादी की जननी माता व मंगलाराम की पत्नी प्रेम देवी की सिविल मृत्यु हो चुकी है इस कारण अब वादी को उसका एकमात्र पुत्र वारिस होने से पिता वादी मंगलाराम की फौती होने पर भूमि विवादग्रस्त में विरासत में प्रेम देवी को प्राप्त हक हिस्से को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुत्र वारिस होने के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने का व तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। पूर्व में विवादित भूमि के अतिरिक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 1918, 1920/8833, 1925, 1926, 1927/8834, 2079, 2092, 2120/8834, 2085, 2089 कुल किता 10 का कुल रकबा 2.61 है0 भूमि में भी पिता वादी का 1/3 हिस्सा निहित रहा थ जो भी विरासत भूमि में पिता वादी का 1/3 हिस्सा निहित रहा था जो भी विरासत में वादी जगदीश व प्रेम देवी के नाम समान रुप से 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया था। माता प्रेम देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रुप से दर्ज हक हिस्से की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रुप से दर्ज हक हिस्से की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु वादी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद संख्या 110/2014 उनवानी जगदीश बनाम राजू वगै0 के नाम वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जो वाद न्यायालय श्रीमान् द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 26.05.2016 को डिक्री कर दिया गया जिस डिक्री की अनुपालना में वादी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष इजराय की पत्रावली पेश की हुई है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 24.03.2017 नियत है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी को अधिकार हांसिल है कि वह विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.82 है0, व खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.16 है0 में प्रेम देवी पत्नी मंगला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि को प्रेम देवी की सिविल डेथ हो जाने की उपधारणा के आधार पर, स्वयं के नाम खातेदारी घोषित करवाते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाते हुए, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्ध करवाये कि प्रतिवादीगण वादी की विवादित भूमि के 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त में उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार का दखल, मजाहमत पैदा नहीं करें। बिनाय दावा प्रेम देवी के 32 वर्षो से लापता होने से व वादी की उम्र अब 33 वर्ष हो जाने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की धमकी दिनांक 25.02.2017 को देने पर उदय होकर लगातार जारी है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राजात डिक्री किया जाकर वादी को आराजी भूमि खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम उंटगढा, पटवार हल्का खेजरोली बी, गिरदावर सर्किल खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रेम देवी पत्नी मंगला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि को प्रेम देवी की सिविल डेथ हो जाने की उपधारणा के आधार पर वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जावें कि वादी के विवादित भूमि में उक्त वर्णितानुसार हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में, काश्त करने में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, मजाहमत पैदा नही करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श संख्या EX–1 हाल जमाबन्दी सं. 2071–2074 विवादित जमीन वाली, EX–2 जमाबन्दी खाता संख्या 768 स0 2068–2070, EX–3 जगदीश बनाम राजू दावे में हुऐ निर्णय की नकल, EX–4 उक्त दावे की डिक्री की नकल, EX–5 जगदीश बनाम राजू वगै0 दावा की नकल, EX–6 कैम्प कोर्ट खेजरोली में प्रस्तुत मजमे आम फर्द मौका रिपोर्ट, EX–7 पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत खेजरोली द्वारा जारी दिनांक [illegible] के प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ–पत्र PW1 जगदीश [illegible] PW2 गणपतलाल के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

सहायक (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–14/2017
उनवान– जगदीश बनाम विमला
निर्णय दिनांक– 08.11.2024

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 84 के आराजी खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.82 है0, खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम उंटगढा, पटवार हल्का खेजरोली बी, गिरदावर सर्किल खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रेम देवी पत्नी मंगला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/6 हिस्से की भूमि को प्रेम देवी की सिविल डेथ हो जाने की उपधारणा के आधार पर वादी जगदीश पुत्र मंगला को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रे0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:52:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner